

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

10-10

88/17

किस्म मु०

धारा 91

रज्जु दिनांक

13.14.17

निर्णय दिनांक

15.12.2017

उनवान सरकार बनाम हरिसिंह पुत्र प्रभातीलाल जाति कुम्हार नि० मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपरिथत। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्बत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम मोई भारू की राजकीय भूमि गै०मु० रास्ता ख०न० 156 रकबा 0.31 किस्म गै०मु० रास्ता मे से 0.02 है० भूमि पर अतिकमी हरिसिंह पुत्र प्रभातीलाल जाति कुम्हार नि० मोई भारू तहसील बुहाना ने अवैध रूप से बाडा बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपरिथत रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये बाडा के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.91 का अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.14 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7 /- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 15.12.17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

8
15/12/17
उप तहसीलदार
सिंधाना झुन्झुनु